समाज कल्याण विभाग

(राज्य बाल संरक्षण समिति)

राज्य बाल संरक्षण समिति, बिहार

सुरक्षित बचपन-विकसित समाज

बिहार सरकार

अभिवंचित/अनाथ बच्चों के लिए बिहार सरकार की पहल

(बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण हेतु समुदाय आधारित देखभाल योजना)

परवरिश

सर्वसाधारण के लिए सूचना/अपील

आमजन से अनुरोध है कि यदि वे अपने आस–पास परवरिश योजना की अर्हता रखने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले, अनाथ एवं बेसहारा बच्चों को देखें अथवा इसकी सूचना हो तो अपने संबंधित जिले के निकटतम ऑगनबाड़ी केन्द्र की सेविका/जिला बाल संरक्षण इकाई/ बाल कल्याण समिति/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से संपर्क कर उस बच्चे को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "परवरिश" का लाभ दिलाने का प्रयास करें।

योजना का लक्ष्य समूह:

1. अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी या अपने रिश्तेदार के पास रहते है।
2. दु:साध्य रोग से पीड़ित (एच आई वी/एड्स/कुष्ठ ग्रेड–II) बच्चे
3. एच आई वी (+)/एड्स रोग से पीड़ित माता/ पिता के बच्चे अथवा कुष्ठ रोग (ग्रेड–II) से पीड़ित माता/ पिता की संताने
4. वैसे बच्चे भी अनाथ एवं बेसहारा माने जाएँगे जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गई हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे की परवरिश करने में असमर्थ हो गये हो।

योजना अन्तर्गत अनुदान की राशि:

0 से 18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों का अभिभावक से साथ खोले गये खाते में **1000/–** रु0 प्रति माह।

योजना के लिए पात्रता:

1. बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो,
2. पालन–पोषणकर्ता परिवार बी0पी0एल0 के अधीन सूचीबद्ध हो अथवा उनकी वार्षिक आय 60,000/– रुपये से कम हो (एच आई वी /एड्स एवं कुष्ठ रोग के मामलें में लागू नहीं)।

आवेदन की प्रक्रिया:

आवेदन पत्र आँगनवाड़ी केन्द्र की सेविका के पास नि:शुल्क उपलब्ध है। आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट:– https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html पर भी उपलब्ध है। आवेदक, आवेदन पत्र भरकर एवं आवश्यक कागजात संलग्न कर संबंधित क्षेत्र की आँगनवाड़ी सेविका के पास जमा करेंगे। एच आई वी/एड्स के मामले में आवेदक आवेदन पत्र भरकर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) के कार्यालय में जमा करेंगे।

विशेष जानकारी के लिए संबंधित जिला के आंगनवाड़ी सेविका, बाल कल्याण समिति, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी या सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क किया जा सकता है।

PR. No. 009947 (SWD)D. 2023-24